तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 53/2022 बअनवान श्रीमती भूरीदेवी बनाम रेंवताराम वगै.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.07.2022	पत्रावली पेश हुई। अपीलांट के अधिवक्ता श्री भगवानदास गोयल एवं रेस्पोडेंटस अधिवक्ता श्री धनपतसिंह भाटी उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलांट ने कम्पनी के पक्ष में किसी प्रकार का कोई सहमति पत्र नहीं बनवाया। उक्त सहमति पत्र जो न तो रजिस्टर्ड है तथा नह ही नोटेरी करवाया हुआ है। जाली सहमति पत्र को आधार बनाकर कंपनी द्वारा अपीलांट की आराजी में निर्माण किया जा रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश दस्जावेजात पर गौर किये बिना जल्दबाजी में पारित किया गया जो विधि की दृष्टि से दूषित है। मूल दावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उभयपक्ष के हितों का निर्धारण भी मूल दावे के निस्तारण पर ही संभव है। दावे के विचाराण में रहते अपीलांटगण को रेस्पोडेंट अपीलाधीन आराजी से जबरन बेंदखल करने पर प्रयासरत है तथा रेस्पोडेंटगण द्वारा अपीलांट के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप किया जा रहा है जिससे अपीलांट को भारी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में किया जाना सम्भव नहीं है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में है। अतः अपीलांटगण की अपील को स्वीकार फरमाया जावे। अधिवक्ता रेस्पोडेंटस ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट स्वयं ने अपनी उपस्थिति में सहमति पत्र बनवाया जिसके आधार पर कंपनी द्वारा निर्माण कार्य चालु किया गया। वर्तमान में अपीलांट द्वारा लालच में आकर कंपनी के प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचाने के लिए हस्तगत अपील पेश कर स्थगन प्राप्त किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। यदि मौके पर कंपनी के काम को बंद किया जाता है तो अपूरणीय क्षति कंपनी को होगी। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन रेस्पोडेंटस के पक्ष में है। अतः अपीलांट की अपील को खारिज फरमाई जावे। अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उभयपक्षकारान के हकों का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण पर ही संभव है। रेस्पोडेंटगण द्वारा अपीलाधीन आदेश की आड़ में अपीलांट के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करते है तो अपीलांट के हितों पर कुठाराघात संभाव्य है। प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलांट द्वारा पेश शपथ-पत्र पर विश्वास कर अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.03.2022 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर	

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

दिया जाकर गुणावगुण पर अधिकतम दो माह में मूल आवेदन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण करे तब तक हाजा न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.04.2022 प्रभाव में (यथावत) रहेगा। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 16.08.2022 को उपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार नंबर से कम होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे इजलाश सुनाया गया।

([illegible] पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर